CERTIFICATE OF LAND

File No. 20/Rg-1122/15-5-25 Date: 04/06/2025

Certified that the land measuring 9,800 Sq. Mtr. (in Square Meters) is owned by the Naib Singh Dhaliwal by way of leased Deed (in case of allotment of land, if it is not perpetual, periodicity of allotment to be mentioned from – to –)

It is further certified that owner of the land has leased the said land to Red Rose Public School (Name of the School/Society/Trust/Company under section 8 of companies Act, 2013) fully described in the schedule mentioned hereinafter with the following details for a period of 30 years from 01/02/2024 to 30/11/2034

SL.	Particulars	Details
1	Plot No.(s)/Survey No. (s) /Khasra No.(s)/Khata No.(s)/Khatauni No. (s)	खसरा 215 क रकबा 0.1700 हे० 215 ख रकबा 0.6070 हे० 215 ग रकबा 0.2030 हे०
2	Name of streets /village, Sub Division, District and State	Gadarpur, ward No -05 Distt - U.S. Nagar, U.K. 263152

It is certified that the said entire land comprise of a single contiguous plot of land. It is further certified that Red Rose Convent School (Name of the school with name of Street, village, sub-division and district) run by name of Red Rose Public School (Society/Trust/Company under Section 8 of companies Act, 2013) is located on the said plot of land.

THE SCHEDULED OF LAND ABOVE REFERRED TO

All that piece and parcel of land measuring 9,800 Sq. Mtr. (area of land in square meters) situated in Gadarpur (Plot No.(s)/ Survey No. (s)/ Khasra No. (s)) at Khet No- 215क, 215ख, 215ग (Name of Street/Village, Sub Division, District and State) and bounded as follows.

North	Mukhtiyar Singh and other.
East	Mohd. Ahmad
West	Road
South	Sibte Nabi

DM/ADM/SDM/TEHSILDAR/NAID-TEHSILDAR/REGISTRAR/SUB-REGISTRAR/EQUIVALENT LAND AUTHORITY

Dhaliwal
04/06/25
कु० ज्योति
राजस्व उपनिरीक्षक
क्षेत्र..................तह०
(ऊधम सिंह नगर)

(Stamp and Signature of the land authority)
04/06/25
(Name of Officer)

(Name of District)

तहसीलदार
गदरपुर (ऊधम सिंह नगर)

* The filled up certificate should be either in Hindi or English. If it issued in vernacular language, translated notarized version in English be uploaded along with the original vernacular certificate as a single pdf.

3004/8/04

24

भारतीय गैर न्यायिक

10000 रु. Rs 10000

10000 रु. Rs.10000

10000 रु. Rs.10000 दस हज़ार रुपये

10000 रु. Rs.10000 RUPEES TEN THOUSAND

सत्यमेव जयते

10000 रु. Rs.10000

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

04AA 146257

लीज / किरायानामा 30 वर्षीय

लीज : 30 वर्षीय, मासिक किराया : 1,500/– रूपये, वार्षिक किराया : 18,000/– रूपये

स्टाम्प शुल्क : 8,640/– रूपये आ0वि0शुल्क : 2,160/– रूपये कुल योग : 10,800/– रूपये

हम कि नायब सिंह पुत्र श्री साधू सिंह निवासी ग्राम बराखेड़ा, तहसील गदरपुर, जिला ऊधमसिंहनगर, उत्तरांचल के "प्रथम पक्ष" व रेडरोज पब्लिक स्कूल्स सोसायटी, ग्राम बराखेडा, तहसील गदरपुर, जिला ऊधमसिंहनगर, उत्तरांचल द्वारा संचालित रेड़रोज कान्वेन्ट स्कूल, बराखेडा, तहसील गदरपुर, जिला ऊधमसिंहनगर, उत्तरांचल "द्वितीय पक्ष" हैं। जो कि रेडरोज पब्लिक स्कूल्स सोसायटी, बराखेडा, गदरपुर, जिला ऊधमसिंहनगर के द्वारा दिनांक 16–11–2004 को श्री सुभाषचन्द गुम्बर पुत्र श्री हुकमचन्द गुम्बर निवासी गदरपुर, तहसील गदरपुर, जिला ऊधमसिंहनगर, को प्रबन्धक कमेटी की कार्यकारिणी द्वारा सर्वसम्मत्ति से रेडरोज कान्वेन्ट स्कूल के पक्ष में लीज/किरायानामा पंजीकृत कराने हेतु नामित किया गया। जिसका प्रस्ताव डा0 एस0 एस0 मेहता ने रखा। और उसका अनुमोदन श्री गुरमेल सिंह ने किया। रेड रोज पब्लिक स्कूल्स सोसायटी, बराखेडा (गदरपुर) तहसील गदरपुर, जिला ऊधमसिंहनगर

(क्रमशः पृष्ठ – 2)

22
28.12.2004

नायब सिंह पुत्र श्री साधू सिंह,
निवासी ग्राम बरखेड़ा,
तहसील गदरपुर, जिला ऊधमसिंह नगर

Rajeev Bansal
राजीव बंसल
स्टाम्प वेन्डर
लाइसेंस संख्या – 17/2002
तहसील बाजपुर (ऊ० सिं० नगर)

2160 208+20 16 2280

[illegible] शुल्क रुपये [illegible] लगभग भाग।

श्री नायबसिंह पुत्र श्री साधूसिंह

पेशा कृषक निवासी ग्राम बरखेड़ा ता० गदरपुर

तहसील बाजपुर में यह लेखपत्र कार्यालय उप निबन्धक बाजपुर जिला ऊधमसिंह नगर में आज दिनांक 28-12-04

समय 5 व 5 बजे दिन को प्रस्तुत किया।

28/12/04
उप निबन्धक
बाजपुर [उधमसिंह नगर]

तहरीर व तकमील दस्तावेज से व वसूलयाबी

[illegible] /रुपये पूर्ण

[illegible] श्री नायबसिंह प्रथम पक्ष द्वारा [illegible]

[illegible] के गदरपुर [illegible]

न बाद [illegible] के लिए [illegible] किया जिनका

[illegible] श्री गुरनामसिंह पुत्र श्री [illegible]सिंह

पेशा [illegible] निवासी [illegible]

तह० गदरपुर व श्री [illegible] पुत्र श्री [illegible]

पेशा [illegible] नि० [illegible] तह० [illegible]

ने की।

28/12/04

उत्तरांचल सोसायटीज़ अधिनियम के अधीन पंजीकृत है। जिसका पंजीयन 108/1988 – 89 एवं नवीनीकरण संख्या 184/2003 – 04 व पत्रावली संख्या 00764H है। जो कि प्रथम पक्ष की आराजी बाके मौजा बराखेडा तहसील गदरपुर, जिला ऊधमसिंहनगर, उत्तरांचल स्थित खसरा नम्बर 215 क रकबा – 0.170 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 215 घ रकबा – 0.607 हैक्टेयर कुल रकबा 0.777 हैक्टेयर आराजी दर्ज कागजात माल है। जो कि न्यायालय परगनाधिकारी/सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी, रूद्रपुर के आदेशानुसार वाद संख्या 22/15 (03 – 04) के द्वारा अकृषिक घोषित की गयी है। उक्त वर्णित आराजी में वर्तमान समय में भूमि पर कुल 15 कमरे लगभग 5 वर्ष पुराने साधारण निर्माण के बने हुए हैं। उक्त आराजी व उसमे निर्मित कक्ष "प्रथम पक्ष" की तन्हा मिल्कियत है और इस दम तक हर तरह के बार, रहन बै वगैरह से कतई बरी व पाक साफ है। जिसको "प्रथम पक्ष" द्वारा "द्वितीय पक्ष" को निम्नलिखित अनुबन्धों के आधार पर किराये/लीज पर देने का इकरार किया गया है और "द्वितीय पक्ष" द्वारा निम्नलिखित अनुबन्धों पर किराये/लीज पर लेने का इकरार किया गया है। जिनके दोनों पक्ष व उनके वारिसान अथवा पदाधिकारी पाबन्द रहेंगें :–

(क्रमशः पृष्ठ – 3)

100Rs.

(1) यह कि किरायेदारी की अवधि दिनांक 01—12—2004 से आगे दिनांक 30—11—2034 ई0 तक 30 (तीस वर्ष) की रहेगी।

(2) यह कि दोनों पक्षों की बीच किराया 1,500/— रूपया (पन्द्रह सौ रूपये केवल) मासिक तय हुआ है। जो कि द्वितीय पक्ष, प्रथम पक्ष को प्रत्येक माह की अन्तिम तिथि तक अदा कर रसीद बाजप्ता प्राप्त करते रहने के लिये बाध्य रहेगें। जुबानी उज्र आदयगी कतई नाजायज व गैरकानूनी होगी।

(3) यह कि किराये के अतिरिक्त द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष को हाउस टैक्स, वाटर टैक्स तथा अन्य कोई टैक्स जो भी उक्त वर्णित आराजी व उसमें निर्मित कक्षों पर भविष्य में प्रदेश सरकार/जिलापंचायत या नगर पालिका परिषद् गदरपुर द्वारा या किसी के भी द्वारा लागू किया जायेगा उसका भुगतान करेगा और उसकी भी रसीद बाजप्ता प्रथम पक्ष से प्राप्त करता रहेगा।

(4) यह कि इस कक्ष की सालाना मरम्मत तथा रंगाई — पुताई आदि की पूर्णतः जिम्मेवारी अपने खर्चे से द्वितीय पक्ष की होगी और द्वितीय पक्ष इन कक्षों की हैसियत को किसी भी प्रकार से नहीं बिगाडेगा और इसमें कोई भी ऐसा कार्य व व्यापार नहीं करेगा जिससे इन कक्षों की कोई हैसियत बिगडे अथवा प्रथम पक्ष की साख खराब हो।

(क्रमशः पृष्ठ — 4)

50 Rs.

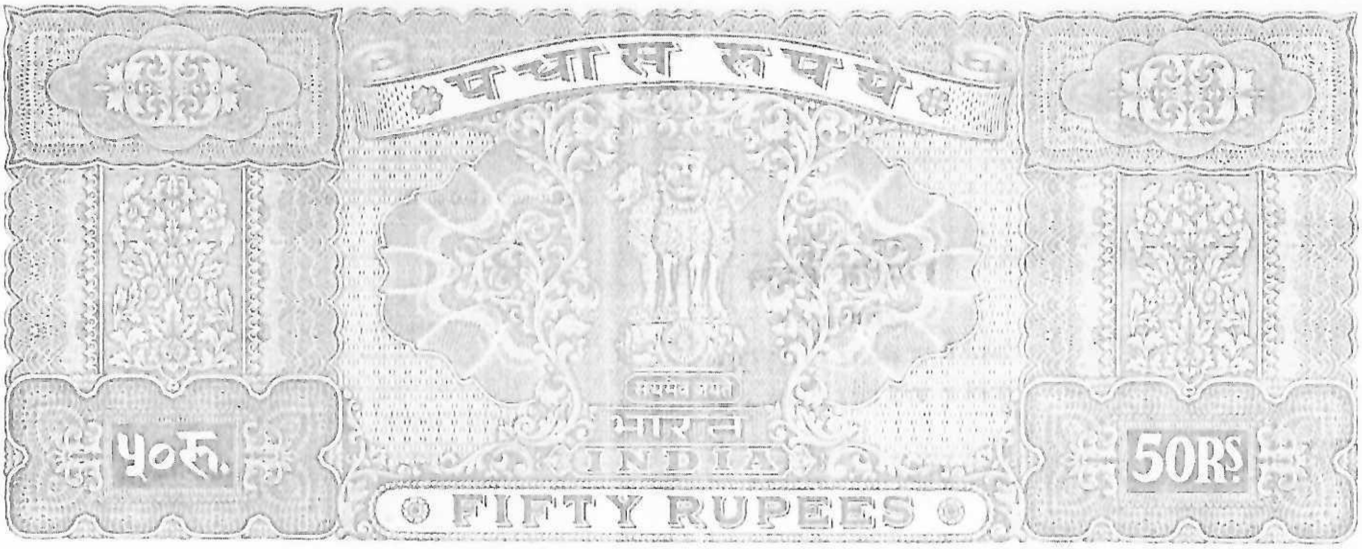

(5) यह कि "द्वितीय पक्ष" को उक्त वर्णित आराजी व उस पर निर्मित कक्षों को किसी भी अन्य व्यक्ति को किसी भी प्रकार किराये पर देने अथवा किराये पर उठाने का या किसी को भागीदार बनाने का भी कोई अधिकार न होगा।

(6) यह कि उक्त वर्णित आराजी व उसमें निर्मित कक्षों में किसी भी प्रकार की कोई तोड–फोड या परिवर्तन करने का कोई अधिकार द्वितीय पक्ष को नहीं होगा। इस समय द्वितीय पक्ष की सुविधा के लिये जो भी अतिरिक्त निर्माण या परिवर्तन हुआ है, वह प्रथम पक्ष की लागत से है, द्वितीय पक्ष को इसके निर्माण से कोई वास्ता नहीं है। यदि द्वितीय पक्ष इन कक्षों में पुर्ननिर्माण अथवा इनके अतिरिक्त अन्य कक्षों का निर्माण अथवा कार्यालय आदि का निर्माण करता है तो वह प्रथम पक्ष की सहमति से व द्वितीय पक्ष द्वारा अपने खर्चे से किया जा सकेगा।

(7) यह कि वर्तमान समय में उक्त कक्षों में विद्युत के कनैक्शन में मासिक जितनी भी बिजली खर्च होगी उसके बिल का भुगतान भी द्वितीय पक्ष के द्वारा होगा। विद्युत उपभोग के सम्बन्धी विवाद व उसके हर्जे–खर्चे की पूर्ण जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की होगी।

(क्रमशः पृष्ठ – 5)

50 Rs.

(8) यह कि इस किरायेनामे की अवधि तीस वर्ष की रहेगी। अतः अवधि समाप्त होने के पश्चात् इस किरायेनामे/लीज की अवधि को पुनः बढाया जा सकता है। किन्तु यदि दोनों पक्ष इस अवधि को बढाने हेतु सहमत न हों तो द्वितीय पक्ष इस आराजी व उसमें निर्मित कक्षों को खाली करके कक्ष पर कब्जा प्रथम पक्ष को शान्तिपूर्ण ढंग से करा देगें। कोई बाधा उत्पन्न करने का द्वितीय पक्ष को लेशमात्र भी अधिकार न होगा तथा प्रथम पक्ष स्वयं अथवा न्यायालय द्वारा जिस प्रकार भी चाहे कब्जा द्वितीय पक्ष से अवधि समाप्त होने पर ले सकते हैं।

(9) यह कि यदि "द्वितीय पक्ष" विद्यालय के विस्तार एवं उन्नति के लिये किसी भी वित्तीय संस्था अथवा किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक, निगम अथवा सोसायटी से किसी भी प्रकार का कोई ऋण या सरकार से अनुदान या सहायता आदि प्राप्त करते हैं तो उस ऋण व उस पर देय ब्याज का किश्तबार अथवा कुल भुगतान मय ब्याज के अदा करने की पूर्ण जिम्मेदारी "द्वितीय पक्ष" की होगी। प्रथम पक्ष का उस ऋण एवं उस पर देय ब्याज से कोई सरोकार न होगा और अगर विद्यालय के विस्तार हेतु या विद्यालय के हित में प्रथम पक्ष बैंक से ऋण लेकर अपने खर्चे से उसमें द्वितीय पक्ष की सहमति से कोई निर्माण कराते हैं तो उसके निर्माण में जो भी खर्चा होगा उसका भुगतान द्वितीय पक्ष को मय बैंक ब्याज के करना होगा।

(क्रमशः पृष्ठ — 6)

50 Rs.

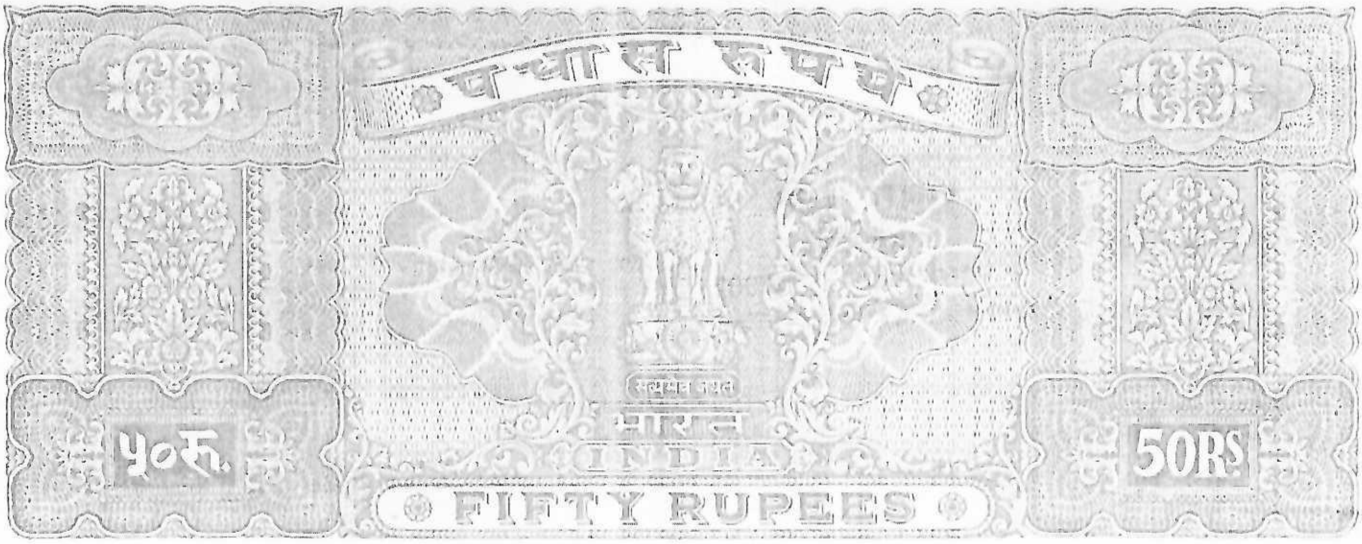

(10) यह कि यदि द्वितीय पक्ष 3 माह (तीन माह) तक लगातार किराया नहीं देता है, तो प्रथम पक्ष को इस आधार पर भी "द्वितीय पक्ष" को बेदखल करने का अधिकार होगा।

(11) यह कि किसी उपरोक्त अनुबन्धों को तोडने के कारण अथवा किरायेदारी / लीज की अवधि समाप्त होने पर कब्जा न देने के कारण अगर प्रथम पक्ष को द्वितीय पक्ष के विरूद्ध न्यायालय से उसको बेदखल करने की कार्यवाही के लिये बाध्य होना पडेगा तो प्रथम पक्ष के हर्जे खर्चे की अदा करने की पूर्ण जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की होगी।

(12) यह कि किरायेदार किरायानामा लिखवाने और पंजीकृत करवाने के खर्च को दोनों पक्ष आधा--आधा वहन करेंगें।

उक्त वर्णित आराजी में लगभग 5300 वर्गफुट निर्मित क्षेत्र है तथा शेष भूमि खाली है।

उक्त वर्णित आराजी के हदूदर्वा :– पूरब में वकील अहमद की कृषि भूमि, पश्चिम में नहर, उत्तर में प्रवीण की कृषि भूमि तथा दक्षिण में सिफ्ते अली की भूमि है।

अतः यह किरायानामा / लीज दोनों पक्षों के बीच दिनांक 29–12–2004 ई0 को राजीव बन्सल द्वारा टंकित किया गया है। ताकि प्रमाण रहे और समय पर काम आवे।

(क्रमशः पृष्ठ – 7)

50 Rs.

कर्त्तागण :

हस्ताक्षर (प्रथम पक्ष) :

हस्ताक्षर (द्वितीय पक्ष) :

हस्ताक्षर मजमूनकर्ता :
मिथलेश कुमार कश्यप,
दस्तावेज लेखक, बाजपुर, ऊधमसिंहनगर

हस्ताक्षर टाइपकर्ता :
राजीव बन्सल,
बाजपुर, ऊधमसिंहनगर.

हस्ताक्षर – गवाह (1)
गुरनाम सिंह पुत्र श्री प्यारा सिह
निवासी ग्राम कनकटा, तहसील गदरपुर
जिला ऊधमसिंहनगर।

हस्ताक्षर -- गवाह (2)
मिथलेश कुमार कश्यप
दस्तावेज लेखक, तहसील बाजपुर
जिला ऊधमसिंहनगर।

(1)
2675/I/2025 (27)

Online Public Data Entry Summary

UKPDE2025120102682

DISTRICT NAME :उधम सिंह नगर SRO :बाजपुर

उत्तराखण्ड शासन UKPDE2025120102682 From 16 Feb 2023 22-Apr-2025 2:47:23PM

Appointment Date: 22 Apr 2025 **Appointment Time:02:30 p.m to 03:30 p.m** **Appointment TokenNo:10**

Deed/Article Type :Lease

Sub-Deed/Sub-Article :Lease(Not Exceeding 30 years)

Village/Location For Index :बराखेडा

Village/Location/Road Selected for Circle RateList :बराखेडा

Khewat : Khatoni :00586

Khasra :215 ग

House/Flat No:

Area :0.2030 हैक्टेयर

Latitude Longitude 0.0000000000

Land Value :0.00 Construction Value :0.00

Transaction Value :0.00 **Market Value :0.00**

Advance :0.00 Lease Period :30.00 Avg. Rent :0.00

Stamp Duty :1,800.00 **Regn Fees :1,800.00**

Pasting Fees :100 Page :26

व्यवसायिक निर्माण का विवरण

क्र.सं	निर्माण का प्रकार	क्षेत्रफल

आवासीय निर्माण का विवरण

क्र सं	निर्माण क्षेत्र	निर्माण का प्रकार	निर्माण तल	ह्रास वर्ष	रक़ा

निबंधक शुल्क का विवरण

क्र सं	भुगतान की विधि	धनराशि	संदर्भ क्रमांक
1	Cash	1,800.00	

स्टाम्प शुल्क का विवरण

क्र सं	भुगतान की विधि	धनराशि	संदर्भ क्रमांक	जारी दिनांक	स्टांप विक्रेता आईडी
1	e-Stamp	1,800.00	IN-UK87626432227255X	22-Apr-2025	UK1404204

Subhash

Appointment Date: 22 Apr 2025 **Appointment Time:02:30 p.m to 03:30 p.m** **Appointment TokenNo:10**

पक्षकारों का विवरण

पक्षकार का प्रकार	पक्षकार का विवरण	हस्ताक्षर	व्यवसाय	पैन नं	मोबाइल नं	पहचान पत्र संख्या
विक्रेता / प्रथम पक्ष	श्री नायब सिंह पुत्र श्री साधू सिंह निवासी वार्ड न०-05, रेड रोज रोड, गदरपुर तहसील गदरपुर जिला उधमसिंहनगर Email :rrcs193@yahoo.com		Self employed		9870991993	ADHAAR : 787950771265
क्रेता / द्वितीय पक्ष	श्री रेड रोज पब्लिक स्कूल (सोसायटी) द्वारा प्रबन्धक सुभाष चन्द्र गुंबर पुत्र श्री हुकम चन्द्र गुंबर निवासी ग़ 37, वार्ड न०-05, आवास विकास, गदरपुर तहसील गदरपुर जिला उधमसिंहनगर Email :rrcs193@yahoo.com		Self employed		7456084140	ADHAAR : 720991757112
गवाह	श्री अवधेश कुमार चतुर्वेदी पुत्र श्री नन्हे बाबू चतुर्वेदी निवासी वार्ड न०-04, कुंज विहार कालोनी, गदरपुर तहसील गदरपुर जिला उधमसिंहनगर		Self employed		9837124777	ADHAAR : 853361111046
गवाह	श्री ऋषभ शर्मा पुत्र श्री दिनेश चन्द्र शर्मा निवासी दस्तावेज़ लेखक, तहसील बाजपुर		DEED WRITER		8477997666	OTHERS : 011

Deed Writer /Advocate Name :Rishabh Sharma

(5)

IN-UK87626432227255X

LOCKED

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttarakhand

₹1,800

e-Stamp

Deepali
DEEPALI SHARMA
ACC. ID. UK 1404204
BAZPUR
MOB.: 8477997666

Certificate No.	:	IN-UK87626432227255X
Certificate Issued Date	:	22-Apr-2025 02:33 PM
Account Reference	:	NONACC (SV)/ uk1404204/ BAJPUR/ UK-UN
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UKUK140420482598259832365X
Purchased by	:	RED ROSE PUBLIC SCHOOL TM SUBHASH CHANDRA GUMBER
Description of Document	:	Article 35 Lease
Property Description	:	VILLAGE-BARAKHERA TEHSIL GADARPUR
Consideration Price (Rs.)	:	0 (Zero)
First Party	:	NAIB SINGH DHALIWAL SON OF SADHU SINGH
Second Party	:	RED ROSE PUBLIC SCHOOL TM SUBHASH CHANDRA GUMBER
Stamp Duty Paid By	:	RED ROSE PUBLIC SCHOOL TM SUBHASH CHANDRA GUMBER
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	1,800 (One Thousand Eight Hundred only)

₹1,800

IN-UK87626432227255X

Please write or type below this line

Subhash

QE 0015696065

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

लीज/किरायानामा (30 वर्ष)

E-Stamp No- IN-UK87626432227255X **Rs. 1800/-**

औसत वार्षिक किराया	— 15,000/—रूपये
29 वर्ष 11 माह का कुल किराया	— 4,50,000/—रूपये
कुल देय स्टाम्प शुल्क	— 1800/—रूपये

हम कि **नायब सिंह** पुत्र **श्री साधू सिंह** (आधार कार्ड सं0— 787950771265) निवासी वार्ड नं05, रेड रोज रोड, गदरपुर, तहसील गदरपुर, जिला ऊधम सिंह नगर के प्रथम पक्ष व **रेड रोज पब्लिक स्कूल (सोसायटी), गदरपुर, जिला ऊधम सिंह नगर** (फर्म का पेन कार्ड नं0— **AACAR3100P**) द्वारा प्रबन्धक **सुभाष चन्द्र गुँबर** (आधार कार्ड सं0— 720991757112) पुत्र श्री हुकम चन्द्र गुँबर निवासी ए 37, वार्ड नं05, आवास विकास, गदरपुर तहसील गदरपुर, जिला ऊधम सिंह नगर के द्वितीय पक्ष हैं। जो कि प्रथम पक्ष की आराजी राजस्व ग्राम **बराखेड़ा**, तहसील **गदरपुर**, जिला **ऊधम सिंह नगर** के वर्तमान **खाता खतौनी सं0— 00586**, (1428 लगायत 1433 फसली) के **खसरा नं0— 215 ग रकबा— 0.203 हैक्टेयर** भूमि प्रथम पक्ष के नाम पर दर्ज है। प्रश्नगत भूमि को अजय कुमार अरोरा की आराजी **न्यायालय श्रीमान न्या0सहा0कले0 प्रथम श्रेणी/परगनाधिकारी बाजपुर कैम्प गदरपुर, राजस्व वाद सं0— 22/68 (2017—18) आदेश दिनांक 13—11—2017 ई0 के आधार पर अन्तर्गत धारा 143 जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम अकृषिक घोषित की गयी है।**

बही संख्या 1 रजिस्ट्रीकरण संख्या 2675 वर्ष 2025

Lease
Lease(Not exceeding 30 years)

नजराना रु0 : 0.00
औसत वार्षिक
किराया रु0 : 0.00

रजिस्ट्रेशन शुल्क	प्रतिलिपि शुल्क	इलेक्ट्रानिक प्रोसेसिंग शुल्क	कुल योग	शब्द लगभग
रु0 1800.00	रु0 100.00	रु0 260.00	रु0 2160.00	1000

श्री रेड रोज पब्लिक स्कूल (सोसायटी) द्वारा प्रबन्धक सुभाष चन्द्र गुंबर पुत्र श्री हुकम चन्द्र गुंबर निवासी ए 37, वार्ड न०-05, आवास विकास, गदरपुर तहसील गदरपुर जिला उधमसिंहनगर ने आज दिनांक 22 Apr 2025 समय मध्य 3PM व 4PM को कार्यालय उपनिबन्धक बाजपुर मे प्रस्तुत किया ।

Subhash

रेड रोज पब्लिक स्कूल (सोसायटी) द्वारा प्रबन्धक
सुभाष चन्द्र गुंबर

उपनिबन्धक
बाजपुर
22-Apr-2025

इस लेख पत्र का निष्पादन विलेख मे लिखित तथ्यों को सुन व समझकर श्री नायब सिंह पुत्र श्री साधू सिंह निवासी वार्ड न०-05, रेड रोज रोड, गदरपुर तहसील गदरपुर जिला उधमसिंहनगर \ ने नजराना मुबलिग रु0 0.00 प्रलेखानुसार पाकर निष्पादन स्वीकार किया । इस लेखपत्र का निष्पादन द्वितीय पक्ष श्री रेड रोज पब्लिक स्कूल (सोसायटी) द्वारा प्रबन्धक सुभाष चन्द्र गुंबर पुत्र श्री हुकम चन्द्र गुंबर निवासी ए 37, वार्ड न०-05, आवास विकास, गदरपुर तहसील गदरपुर जिला उधमसिंहनगर \ ने भी स्वीकार किया ।
जिनकी पहचान श्री अवधेश कुमार चतुर्वेदी पुत्र श्री नन्हे बाबू चतुर्वेदी निवासी वार्ड न०-04, कुंज विहार कालोनी, गदरपुर तहसील गदरपुर जिला उधमसिंहनगर तथा श्री ऋषभ शर्मा पुत्र श्री दिनेश चन्द्र शर्मा निवासी दस्तावेज़ लेखक, तहसील बाजपुर ने की।

उपनिबन्धक
बाजपुर
22-Apr-2025

उक्त आराजी प्रथम पक्ष की तन्हा मिल्कियत है, और इस दम तक हर तरह के बार रहन बै वगैरह से कतई बरी व पाक साफ है, जिसको "प्रथम पक्ष" द्वारा "द्वितीय पक्ष" को निम्नलिखित अनुबन्धों के आधार पर किराये पर देने का इकरार किया गया है, और द्वितीय पक्ष द्वारा निम्नलिखित अनुबन्धों पर किराये पर लेने का इकरार किया गया है, जिसके दोनों पक्ष व उनके वारिसान तथा अधिकारी एवं कर्मचारीगण पाबन्द रहेंगे–

1. यह कि किरायेदारी की अवधि दिनांक **22.04.2025 से आगे दिनांक 22.03.2055 ई0** तक कुल **29 वर्ष 11 माह** की रहेगी।
2. यह कि दोनों पक्षों के बीच किराया राजस्व **ग्राम बराखेड़ा तहसील गदरपुर**, जिला ऊधम सिंह नगर की उपरोक्त वर्णित कुल भूमि **0.203 है0** भूमि बावत् कुल मुबलिग **15,000/–रू0 (पन्द्रह हजार रूपये प्रति वर्ष)** की दर से तय हुआ है, यह किराया प्रथम **29 वर्ष 11 माह** तक रहेगा।

   जो कि दोनों ही पक्षों को मान्य व स्वीकार्य होगा। इस उपरोक्त तयशुदा किराये की राशि का भुगतान **प्रत्येक वर्ष** किया जायेगा, अर्थात् किराये का भुगतान प्रतिवर्ष द्वितीय पक्ष/किरायेदार द्वारा सम्पत्ति के स्वामी/प्रथम पक्ष को अदा किया जायेगा एवं इस किराये की रसीद बाजप्ता प्राप्त करते रहने के लिए बाध्य रहेंगे, जुबानी उज्र अदायगी कतई नाजायज व गैर कानूनी होगी, जो कि दोनों ही पक्षों को मान्य व स्वीकार होगा।
3. यह कि किराये के अतिरिक्त द्वितीय पक्ष, प्रथम पक्ष को हाऊस टैक्स तथा अन्य कोई टैक्स जो भी उक्त वर्णित आराजी व उस पर भविष्य में प्रदेश सरकार/जिला पंचायत या नगरपंचायत द्वारा या किसी भी संस्था या विभाग द्वारा लागू किया जायेगा, उसका भुगतान करेगा और उसकी रसीद भी प्रथम पक्ष से प्राप्त करता रहेगा।
4. यह कि इस अनुबन्ध के सम्बंध में कोई भी सरकारी कार्यवाही की जानी हो, तो दोनों पक्ष उसमें अपना सहयोग देंगे। उक्त सम्पत्ति के सम्बंध में किसी भी विभाग में कोई भी कार्यवाही लीज होल्डर की हैसियत से करने के लिये द्वितीय पक्ष सक्षम है। प्रथम पक्ष से कोई अनुमति आदि लेना आवश्यक नहीं होगी। प्रश्नगत भूमि प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को **रेड रोज पब्लिक स्कूल (सोसायटी)** की स्थापना एवं उसके संचालन हेतु बतौर किराये पर अपनी पूर्ण इच्छा व रजामन्दी से बिना किसी दबाव व प्रभाव के सहर्ष सहमति से दी जा रही है।
5. यह कि उक्त वर्णित आराजी में किसी भी प्रकार का कोई भी शैक्षणिक निर्माण करने का पूर्ण अधिकार द्वितीय पक्ष/किरायेदार को होगा। प्रथम पक्ष को इस निर्माण अथवा उस पर किये जाने वाले खर्च से कोई भी सम्बंध या सरोकार नहीं होग।
6. यह कि उक्त आराजी में यदि द्वितीय पक्ष द्वारा विद्युत का कनैक्शन लिया जाता है, तो उसके समस्त खर्चे व उसके बिल को भुगतान करने की जिम्मेदारी भी द्वितीय पक्ष को होगी। इस विद्युत कनैक्शन एवं विद्युत सम्बन्धित किसी भी कार्यवाही में प्रथम पक्ष को किसी भी प्रकार की कोई भी आपत्ति नहीं होगी। इस विद्युत उपभोग के सम्बन्धित समस्त वाद–विवाद व उसके हर्जे–खर्चे की पूर्ण जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष/किरायेदार की होगी।

बही संख्या 1 रजिस्ट्रीकरण संख्या 2675 वर्ष 2025

नायब सिंह

रेड रोज पब्लिक स्कूल (सोसायटी) द्वारा प्रबन्धक सुभाष चन्द्र

अवधेश कुमार चतुर्वेदी

ऋषभ शर्मा

प्रतिज्ञ एवं साक्षीगण भद्र प्रतीत होते हैं। सभी के अंगुष्ठ चिन्ह नियमानुसार लिये गये है।

रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी /
उप-निबंधक, बाजपुर
22 Apr 2025

यह कि इस किरायानामा को लिखवाने और पंजीकृत करवाने के समस्त खर्च को द्वितीय पक्ष द्वारा ही वहन किया गया है।

–तफसील आराजी–

राजस्व ग्राम– **बराखेड़ा, तहसील गदरपुर**, जिला ऊधम सिंह नगर (उत्तराखण्ड)।

खाता सं0–	खसरा सं0–	रकबा–	ग्राम
00586	**215 ग**	**0.203 हैक्टेयर**	**बराखेड़ा, गदरपुर**
		(शून्य दशमलव दो शून्य तीन हैक्टेयर)	

–लीज आराजी की चौहद्दी–

पूरब में– सुभान अहमद की आराजी
पश्चिम में– रास्ता 20 फुट चौड़ा
उत्तर में– सोहन सिंह की आराजी
दक्षिण में– नैब सिंह की सम्पत्ति

–स्टाम्प शुल्क का निर्धारण–

1 वर्ष का किराया –	**15,000/–रूपये**
30 वर्ष का कुल किराया–	**4,50,000/–रूपये**
1 वर्ष का औसत किराया–	**15,000/–रूपये**
औसत वार्षिक किराये का 6 गुना–	**90,000/–रूपये**
स्टाम्प शुल्क की गणना (6 गुने का 2 प्रतिशत)	**1800/–रूपये**

प्रथम **पक्ष** एवं **द्वितीयपक्ष** दोनों ही पक्षकार भारत के नागरिक हैं और दोनों पक्षों ने एक दूसरे की पहचान सुनिश्चित कर ली है। किराये पर दी गयी भूमि के सम्बंध में किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया है।

Subhan

(15)

<u>–विशेष विवरण–</u>

द्वितीयपक्ष **रेड रोज पब्लिक स्कूल (सोसायटी), गदरपुर, जिला ऊधम सिंह नगर (फर्म का पेन कार्ड नं0– AACAR3100P)** द्वारा प्रबन्धक **सुभाष चन्द्र गुँबर (आधार कार्ड सं0– 720991757112) पुत्र श्री हुकम चन्द्र गुँबर निवासी ए 37, वार्ड नं05, आवास विकास, गदरपुर तहसील गदरपुर, जिला ऊधम सिंह नगर** के द्वितीय पक्ष है।

लिहाजा यह किरायानामा/लीज डीड दोनों पक्षों ने अपनी–अपनी इच्छा व रजामन्दी से तहरीर करा दिया, कि सनद् रहे व वक्त जरूरत काम आवे। दिनांक– **22.04.2025** को तहरीर किया गया।

मुकिरान–

Subhash

प्रथमपक्ष–

द्वितीयपक्ष–

गवाह–

अवधेश कुमार चतुर्वेदी पुत्र श्री नन्हे बाबू चतुर्वेदी
निवासी वार्ड न04, कुंज विहार कालोनी, गदरपुर
तहसील गदरपुर, जिला ऊधमसिंहनगर।
(आधार नं0– **853361111046**)

गवाह–

ऋषभ शर्मा
दस्तावेज लेखक, तहसील बाजपुर।
(रजि0 सं0– **011**)

मजमूनकर्ता–

ऋषभ शर्मा
दस्तावेज लेखक, तहसील बाजपुर।

ऋषभ शर्मा
दस्तावेज लेखक ला. नं. 11
बाजपुर (ऊधमसिंहनगर)
दि 01.04.23 से दि 31.03.26 तक
विधिमान्य ली गई फीस 100/-
हस्ताक्षर

BHULEKH
Uttarakhand

खाता विवरण

ग्राम का नाम : बराखेडा   परगना : (गदरपुर)   तहसील : गदरपुर   जनपद : ऊधम सिह नगर   फसली वर्ष : 1428-1433   भाग : 1   खाता संख्या : 00586

1	----2----	3	4	5	6	7-12	13	
खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम / निवास स्थान			भौमिक अधिकार का वर्ष	खसरा संख्या	क्षेत्रफल (हे.)	आदेश		टिप्पणी
श्रेणी : 1-क / भूमि जो सक्रंमणीय अधिकार वाले भूमिधारो के अधिकारमे हो								
नायबसिह / साधूसिह / नि. बराखेडा संजय सिंह / कृष्णगोपाल सिंह / नि०बराखेडा 1422फ0			1409फ0 1409फ0 1410फ0से 1417फ0से	215घ 306ग 215क 215ग	0.6070 0.0420 0.1700 0.2030	1412फ0वादसं022/15(04-05)श्री0परग0अधि0/सहा0कले0 प्र0श्रे0रूद्रपुर के धारा 143 ज0वि0एवं भू0सु0अधि0 के आ0दि026-10-04 के अनुसार ख0नं0215घ रकवा 0.607हे0ल014.60पै0से जो नायब सिंह पु0 साधू सिंह के नाम वर्ग 1क- संक्रमणीय भू0के श्रेणी में दर्ज है को अकृषिक घोषित किया जाता हैं लगान निरस्त हो ह0अ0र0का0दि028-10-04 1411फ0न्या0पर0अधि0/सह0कले0प्र0श्रे0रूद्रपुर के धारा 143ज0वि0एवं भू0सु0अधि0के अन्तर्गत वादसं022/15 (03-04)आ0दि014/16-10-03के अनुसार ख0न0215क0 रकवा 0.170हे0भू0खातेदार नायब सिह की अकृषिक घोषित की जाती है तदानुसार लगान 4.25पै0खारिज हो ह0अ0रा0क0दि017-1-04 22-12-14/17-1-15		

Disclaimer:यह उद्धरण खतौनी राजस्व विभाग के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम द्वारा तैयार की गई है। नियत सक्षम प्राधिकारी द्वारा सील सहित हस्ताक्षरित होने पर ही मान्य होगी।

Data Updated Upto: Wed Apr 16 11:23:22 IST 2025

Technical Support By: National Informatics Center, Uttarakhand State Unit, Dehradun.

Contents owned by Board of Revenue(Uttrakhand)

Digital India
Power To Empower

https://bhulekh.uk.gov.in/public/public_ror/public_r

खाता विवरण

ग्राम का नाम : बराखेडा परगना : (गदरपुर) तहसील : गदरपुर जनपद : ऊधम सिह नगर फसली वर्ष : 1428-1433 भाग : 1 खाता संख्या : 00586

1	--------------2--------------	3	4	5	6	7-12	13
						1425फ0न्या0सहा0कले0प्र0श्रेणी/पर0बाजपुर कैम्प गदरपुर के राजस्व वाद सं022/68 (17-18) नायब सिंह पु0साधू सिंह बनाम उत्तराखण्ड सरकार अन्तर्गत धारा 143 में आदेश दि0 13-11-17 के अनुसार ख0नं0215ग रकवा0.203हे0ल05.00रू0 भूमि को अकृषिक घोषित कर लगान से मुक्त हो ह0अ0र0 का0दि015-1-18/17-1-18 1422फ0वादसं030/3944(13-14)न्या0तहसीलदार गदरपुर आ0दि015-12-14 के अनुसार ख0नं0354मि0 रकवा0.016हे0 ल00.40पै0 से नायब सिंह पु0 साधू सिह का नाम खारिज कर सुषमा सिंह पुत्री रवीन्द्र प्रताप सिंह नि0ग्रा0 का नाम जरिये बैनामा रजि0 वर्ग1ग विशेष श्रेणी मे दर्ज हो ह0अ0र0का0दि022-12-14/17-1-15	
योग				4	1.0220		

Disclaimer:यह उद्धरण खतौनी राजस्व विभाग के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम द्वारा तैयार की गई है। नियत सक्षम प्राधिकारी द्वारा सील सहित हस्ताक्षरित होने पर ही मान्य होगी।

Data Updated Upto: Wed Apr 16 11:23:22 IST 2025

Technical Support By: National Informatics Center, Uttarakhand State Unit, Dehradun.

Contents owned by Board of Revenue(Uttrakhand)

Digital India
Power To Empower

रेड रोज पब्लिक स्कूल सोसायटी बराखेड़ा- गदरपुर

प्रबन्धकारिणी सूची वर्ष 1993-95 तक

क्र0सं0 नाम	पता	पद	व्यवसाय
1- श्री सुभाष चन्द्र गोयल	ग्राम- आदर्श नगर गदरपुर जिला- ऊधमसिंह नगर	संरक्षक	समाज सेवक
2- डा0 श्याम सुन्दर मेहता	गदरपुर जिला- ऊधमसिंह नगर	अध्यक्ष	समाज सेवक
3- श्रीमती मनजीत कौर	बराखेड़ा- गदरपुर जिला- ऊधमसिंह नगर	उपाध्यक्ष	समाज सेविका
4- श्री श्याम लाल शर्मा	बराखेड़ा गदरपुर जिला- ऊधमसिंह नगर	सदस्य	समाज सेविका
5- डा0एस0एम0सी0 मलिक	गदरपुर जिला- ऊधमसिंह नगर	उप प्रबन्धक	चिकित्सक
6- स0 नायब सिंह	बराखेड़ा गदरपुर । जिला- ऊधमसिंह नगर	प्रबन्धक संस्थापक	कृषि
7- स0 गुरनाम सिंह	ग्राम- कनकटा ,गदरपुर जिला- ऊधमसिंह नगर	आय-व्यय निरीक्षक	प्रधान
8- श्री रघुवीर सिंह	ग्राम- बराखेड़ा काशीपुर जिला- ऊधमसिंह नगर	कोषाध्यक्ष	कृषि
9- स0 बलवीर सिंह	बराखेड़ा गदरपुर जिला ऊधमसिंह नगर	सदस्य	कृषि
10- श्रीमती निर्मला पाण्डे	कन्या जूनियर हाईस्कूल स्कूल, आदर्शनगर (ऊधमसिंह नगर)	शिक्षक	सदस्या
11- स0 अजायबसिंह	ग्राम- बराखेड़ा, गदरपुर जिला ऊधमसिंह नगर ।	सदस्य	कृषि

MANAGER
Red Rose Junior High School
Bara Khera, Gadarpur
Distt. Nainital

प्रधानाध्यापिका
रेड रोज उच्च प्राथमिक विद्यालय
बराखेड़ा-गदरपुर (ऊधम सिंह नगर)

Subhash

रजिस्ट्रेशन अधिनियम –1908 की धारा 32–ए, के अनुपालन हेतु

फिंगर्स प्रिन्टस्

प्रस्तुतकर्ता/लीजकर्ता/विक्रेता का नाम व पता– **नायब सिंह पुत्र श्री साधू सिंह निवासी वार्ड नं05, रेड रोज रोड, गदरपुर, तहसील गदरपुर, जिला ऊधम सिंह नगर।**

बांये हाथ की अंगुलियों के चिन्ह–

दाहिने हाथ की अंगुलियों के चिन्ह–

प्रस्तुतकर्ता/लीजकर्ता/विक्रेता के हस्ताक्षर

प्रस्तुतकर्ता/लीजग्रहिता/ केता का नाम व पता– **रेड रोज पब्लिक स्कूल (सोसायटी), गदरपुर, जिला ऊधम सिंह नगर** द्वारा प्रबन्धक **सुभाष चन्द्र गुंबर पुत्र श्री हुकम चन्द्र गुंबर निवासी ए 37, वार्ड नं05, आवास विकास, गदरपुर तहसील गदरपुर, जिला ऊधम सिंह नगर।**

बांये हाथ की अंगुलियों के चिन्ह–

दाहिने हाथ की अंगुलियों के चिन्ह–

Subhash

प्रस्तुतकर्ता/लीजग्रहिता/केता हस्ताक्षर